प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक–05.07.2024

न्यायालय :– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भिण्ड म.प्र.

Filing No.	BA/3133/2024
CNR No.	MP30010035082024
Case No.	BA/543/2024
Filing Date	03-07-2024

विष्णु नरवरिया पुत्र स्व0 बदनसिंह, आयु–20 वर्ष,
निवासी खिदरपुरा, थाना बरोही,
जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) ––– आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.राज्य द्वारा–
आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली भिण्ड,
जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) –– अनावेदक

ORDER SHEET

THE COURT----------

----------Of 2024

.....बनाम.....

05.07.2024

आवेदक/आरोपी विष्णु नरवरिया द्वारा श्री जनकसिंह नरवरिया अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री सबलसिंह भदौरिया उपस्थित।

माननीय सत्र न्यायाधीश भिण्ड के आदेशानुसार यह जमानत आवेदन अंतरण पर थाना सिटीकोतवाली भिण्ड के अप.क्र. 451/24 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादस की केस डायरी मय पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस प्रतिवेदन की प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी गई।

आवेदन पर विचार किये जाने से पूर्व **माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के न्याय दृष्टांत दीपक यादव बनाम मध्यप्रदेश राज्य एमसीआरसी कमांक 8227/2023 दिनांकित 01.04.2023** में प्रतिपादित दिशा–निर्देश के आलोक में मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उल्लेखित की

जा रही है, जो निम्नानुसार है :–

1. एफआईआर नंबर– 451/2024
2. आरक्षी केन्द्र– सिटीकोतवाली भिण्ड
3. अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादंसं
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांकः– 28.06.2024
5. गिरफ्तारी दिनांकः–अग्रिम जमानत आवेदन पत्र
6. जमानत आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रकम :–
   जमानत आवेदन अन्वेषण के प्रकम पर पेश किया गया है।
7. अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड– निल

उभय पक्ष को जमानत आवेदन पर सुना गया। केस डायरी एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

यह जमानत आवेदक/आरोपी विष्णु नरवरिया की ओर से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए इस आशय का आवेदक/आरोपी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि, यह उसका प्रथम जमानत आवेदन पत्र है और इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष न तो उसने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है न ही ऐसा कोई जमानत आवेदन पत्र लंबित है एवं न ही निराकृत हुआ है।

जमानत आवेदन में उल्लेख अनुसार, आवेदक/आरोपी विष्णु नरवरिया का मामले से कोई संबंध नहीं है, रंजिशन उसे आरोपी बनाया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आरोपी राहुल बताया गया है क्योंकि उसी के आधार कार्ड तथा अंगूठा फिंगर प्रिंट का मिलान कर पैसे निकाले गये हैं, सीसीटीव्ही फुटेज में किसी व्यक्त की पहचान नहीं हो सकी है, ऐसा नहीं बताया गया है कि आवेदक/आरोपी द्वारा फर्जी आधार कार्ड तैयार किया गया है, वह विद्यार्थी होकर अध्ययनरत है, संभ्रांत परिवार का सदस्य है, फरार होने की संभावना नहीं है, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। इन परिस्थितियों में अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अपर लोक अभियोजक ने जमानत का मौखिक रूप से तथा संबंधित आरक्षी केन्द्र की ओर से प्रतिवेदन के माध्यम से लिखित आपत्ति की गई है कि, अग्रिम जमानत का लाभ मिलने पर पुनः ऐसा अपराध करेगा, शर्तों का उल्लंघन कर फरार हो जाएगा और समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन परिस्थितियों में जमानत

आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

केस डायरी के अनुसार फरियादी मटरूसिंह यादव ने थाना सिटीकोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया मुख्य शाखा मंशापूर्ण मंदिर के सामने भिण्ड में खाता क्रमांक 1467203945 संचालित है, दिनांक 05.06.2024 को उसके मोबाइल नंबर 8224809354 पर खाते से बीस हजार रूपये निकालने का मैसेज आया, बेटे से पूछने पर उसने बताया कि सेंट्रल बैंक वाले खाते से रूपये कट रहे हैं, जब फरियादी ने बैंक जाकर पासबुक में इंट्री कराई तो पता चला कि उसके खाते से दिनांक 03.06.2024 को 20,000/–रूपये, दिनांक 04.06.2024 को 20,000/–रूपये तथा दिनांक 05.06.2024 को 20,000/–रूपये कुल 60,000/–रूपये निकाले गये हैं। बैंक मैनेजर ने पूछने पर बताया कि पिंटू पार्क पर देव व्यास महाराजपुरा पाइंट कियोस्क ग्वालियर से रूपये निकाले गये हैं, जब फरियादी ने ग्वालियर पहुंचकर उक्त कियोक्स वाले से पूछताछ की तो उसने वीडिया फुटेज दिखाया और बताया कि तीन व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर आये थे, एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम राहुल बताया था और अपना आधारकार्ड, जिसका नंबर 904018186502, जो कि फरियादी के आधार कार्ड का नंबर है, दिखाया, उसका अंगूठा लगवाने के उपरांत उसे उक्त तीन दिनांक को 20–20 हजार रूपये कुल 60,000/–रूपये दिये थे। फरियादी ने जानकारी की तो पता चला कि आवेदक/आरोपी अरूण राजपूत, सह आरोपी विष्णु नरवरिया एवं एक अन्य ने उसका आधारकार्ड फर्जी बनवाकर तथा फिंगर प्रिंट फर्जी तैयार कर उसके खाते से रूपये निकाले हैं। फरियादी की उक्त सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर थाना सिटीकोतवाली भिण्ड ने मामला अनुसंधान में लिया गया है।

आवेदक/आरोपी पर अन्य सह आरोपीगण के साथ फर्जी दस्तावेज फरियादी का आधारकार्ड के नंबर वाला, किंतु उस पर राहुल का नाम, पता उल्लेखित कर तैयार कर फरियादी के रूपये छलपूर्वक निकालने का गंभीर आरोप है, मामले में अन्वेषण जारी है, आवेदक/आरोपी व अन्य सह आरोपियों की गिरफ्तारी के उपरांत ही अन्वेषण में अग्रिम कार्यवाही हो पाना संभव होगी, क्योंकि आगे के तथ्यों की जानकारी व जप्त होने वाली विषय–वस्तुयें इसके लिये आवश्यक हैं। उक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदक/आरोपी को अग्रिम जमानत का

लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदक/आरोपी विष्णु नरवरिया की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति सहित केस डायरी वापस की जाए। आदेश की एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार में संचित हो।

(मनोज कुमार तिवारी वरिष्ठ)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय
के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक भिण्ड, दिनांक
प्रतिलिपि–

1. थाना प्रभारी सिटीकोतवाली भिण्ड को केस डायरी सहित।
2. आवेदक/आरोपी के अधिवक्ता को प्रदाय किये जाने हेतु।

MANOJ KUMAR TIWARI
Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2024.07.05 16:50:07 +0530

(मनोज कुमार तिवारी वरिष्ठ)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय
के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)